छोड़ कर, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को आयु में छूट प्रदान करने का अनुमोदन किया है।

(ग) और (घ) शासी बोर्ड केन्द्रीय विद्यालय संगठन में विभिन्न पदों के लिए भर्ती संबंधी नियम बनाने में सक्षम है।

बलात्कार रोकने हेतु कदम

2060. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी: क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने केन्द्रीय सरकार से बालिकाओं के साथ बलात्कार विरोधी कानून को और कठोर बनाने हेतु एक अध्यादेश जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय महिला आयोग ने "आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 1996" नामक एक अध्यादेश लागू करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें भारतीय दण्ड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन प्रस्तावित है ताकि बालिकाओं के साथ होने वाले अपराधों के मामले में दण्ड को कड़ा बनाया जा सके, और बलात्कार के जुर्म में दोषी व्यक्तियों को बिना किसी ठोस कारण के बचने से रोकने के लिये प्रणालीगत परिवर्तन किये जा सकें।

(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग से प्राप्त सिफारिशों को भारत के विधि आयोग को भेज दिया गया है जो भारतीय दण्ड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की व्यापक समीक्षा का कार्य कर रहा है।

Steps to stop deforestation

2061. SHRI THENNALA BALA KRISHNA PILLAI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the total area of deforestation in the country; state-wise;

(b) the steps taken to prevent it; and

(c) how much amount has been spent on deforestation last year, State-wise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (CAPT. JAI NARAIN PRASAD NISHAD): (a) As per The State of Forest Report 1993 there has been net increase of 925 sq. km. in forest cover of the country. Only 11 States have shown decline in forest cover. The state-wise details of the forest cover is annexed as Statement (*See* below).

(b) Following steps are taken to prevent deforestation in the country:—

- Enactment of forest Conservation Act, 1980 to regulate diversion of forest land for non-forestry purposes.
- Implementation of Indian Forest Act, 1927 and Wildlife Protection Act, 1972 to check forest and wildlife offences.
- Conservation of rare and threatened species of wildlife and unique habitats of great biological significance through implementation of special programmes like Project Tiger, Project Elephant, etc.
- Large scale afforestation/reforestation under Central and State Government schemes.
- Encouraging wood substitution and promoting fuel saving devices to reduce consumption of wood.
- Extending agro-forestry and integrated wastelands development programmes over non-forest areas to reduce pressure on the natural forests.
- Implementation of Joint Forest Management with the involvement of village communities and voluntary agencies in protection and regeneration of forests.

(c) The information is being collected from the State/UT Governments and will be laid on the Table of the House.